निग/2850/II/15 (251)

<u>न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर श्रृंखला</u>

<u>न्यायालय रीवा (म0प्र0)</u>

20 Rs. COURT FEE 20 रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित / विलोपित Rs. 20/-

258
14.7.15

1. शिवराज सिंह तनय सूर्यदीन सिंह उम्र 55 वर्ष, पेशा–खेती,
2. मुस0 फुलझरिया उर्फ फूलबाई बेवा स्व. श्री महाबीर सिंह उम्र 60 वर्ष, पेशा–गृहकार्य
3. श्रीमती ऊमा सिंह उर्फ कलावती पुत्री स्व0 महाबीर सिंह पत्नी श्री सूर्यबली सिंह पेशा–गृहकार्य,

सभी निवासी ग्राम बरहाई तहसील गोपद बनास जिला–सीधी (म0प्र0)

श्री अरविन्द प्रकाश शुक्ला एड. के द्वारा आज दिनांक 14.07.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

------निगरानीकर्तागण

<u>बनाम</u>

1. शेषमणि तनय खरझर सिंह उम्र 78 वर्ष, पेशा–खेती निवासी ग्राम बरहाई तहसील गोपद बनास जिला–सीधी (म0प्र0)
2. मध्यप्रदेश शासन

--------उत्तरदातागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार बृत्त सेमरिया तहसील गोपद बनास के राजस्व प्रकरण क्र. 3/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक– 05.05.2015 (पीठासीन अधिकारी श्री आशीष अग्रवाल)

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

<u>निगरानी के सूक्ष्म तथ्य</u>

अ– यह कि निगरानीकर्ता क्रमांक 2 व 3 के पति व पिता स्व. श्री महाबीर सिंह के स्वत्व आधिपत्य की भूमि खसरा क्र. 476 रकवा 1.00 हे0 के भूमिस्वामी थे व नये बन्दोवस्त के दौरान उक्त पुराना नम्बर से खसरा क्रमांक 970 व 971 नये नम्बर निर्मित किये गये एवं उसका रकवा एवं नक्शा रिकार्ड में कम अंकित किया गया था जिसकी पूर्ति के लिये निगरानीकर्तागण द्वारा तहसीलदार महोदय के न्यायालय में प्रकरण रकवा पूर्ति व नक्शा सुधार के लिये 206/अ–74/03–04 के रूप में पंजीबद्ध किया

AR 14/07/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0**R.2850–II**/15 जिला–सीधी

शिवराज सिंह/शेषमणि सिंह

(1)	(2)	(3)
23.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	